न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर I.A.S.

प्रकरण संख्या 23 / 2022 (प्रार्थना पत्र)

1. सद्दाम हुसैन आत्मज श्री सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मण्डीपाडा बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

——अपीलाण्ट

बनाम

1. नेशनल हाईवेज ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जरिये महाप्रबन्धक एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना, कार्यान्वयन ईकाई, सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा –राज0

——रेस्पोडेन्ट

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी 5 नेशनल हाईवे ऑथोरिटी एक्ट 1956 एवं 73 (3) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अभिनव जैन, श्री दिलदार सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी –1

निर्णय

दिनांक :– 18.07.2022

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं धारा 73 (2) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 669 रकबा 0.2033 हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु आदेश दिनांक 24.01.2022 से भूमि अवाप्त की गई एवं उक्त भूमि का मुआवजा 1.00 के गुणांक से दिया गया जबकि पूर्व में दिनांक 25.2.2020 को पारित अधिनिर्णय में उक्त गांव की भूमि में 1.5 गुणांक मानकर निर्णय पारित किया गया था । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी दीगोद के अवार्ड आदेश दिनांक 24.01.2022 की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एडवोकेट श्री अभिनव जैन एवं एडवोकेट श्री दिलदार सिंह का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी उपस्थित । अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे की ख0नं0 669 रकबा 0.2033 हे0, आराजी वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील

जिला कलेक्टर
कोटा

दीगोद जिला कोटा में स्थित है । राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण के लिए तहसील दीगोद में आने वाली भूमियों की अवाप्ति की कार्यवाही के साथ साथ प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बरान की भूमि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की अवाप्त की जाकर दिनांक 24.01.2022 को अधिनिर्णय पारित करते 1.00 गुणांक निकटतम नगर पालिका सुल्तानपुर /कैथून/कापरेन से लगाया जाना मानकर अधिनिर्णय पारित किय गया है जबकि पूर्व में दिनांक 25.2.2020 को पारित अधिनिर्णय में उक्त गांव की भूमि में 1.5 गुणांक मानकर निर्णय पारित किया था ,उक्त निर्णय में अधिग्रहण की गई भूमि की गणना में 1.5 का गुणांक लगाकर खातेदारों को अवाप्तसुदा भूमि का भुगतान किया गया था जबकि प्रार्थीगण की भूमि जो कि इस परियोजना में अवाप्त की गई है उनकी भूमि के संबंध में भू–अवाप्ति अधिकारी ने दिनांक 24.01.2022 को जो अवार्ड पारित किया गया है उसमें अवाप्तसुदा भूमि पर गुणन की गणना 1.5 से ना करके केवल 1.00 के गुणन से गणना की गई है जो कि विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण है जिसके संबंध में आपत्तिकर्ता भू–धारकों द्वारा मुख्यतया यह भी आपत्ति उठाई है कि सुल्तानपुर क्षैत्र में स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना कमांक/(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1238 दिनांक 25.3.2021 से नगर पलिका का गठन होने के उपरान्त भूमि का बाजार मूल्य बढता है ना कि घटता है। प्रतिपक्षी नं0 1 नेशनल हाईवे ऑथोरिटी के द्वारा उक्त सभी आवेदकों के प्रार्थनापत्रों को प्रति उत्तर प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रतिउत्तर के पृष्ठ संख्या 9,10,11 की मद संख्या 5 में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अवाप्तसुदा भूमि के संबंध में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 25.5.2020 में 1.5 का गुणक लगाया गया था वर्तमान में नगर पालिका के गठन के कारण गुणन को 1.5 से घटाकर 1.00 किया जिसके कारण बाजार मूल्य मूल अवार्ड की तुलना में कम हुआ है । सम्पूर्ण भूमि का कब्जा पूर्व में ले लिया था । प्रतिवादी द्वारा इसकी सूचना नहीं दी जाने के कारण खातेदारों को मुआवजा राशि की गणना कम दर से कर दी गई है जो उचित नहीं है । सम्पूर्ण भूमि की सूचना उस समय दे दी जाती तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होती । प्रार्थीगण की अवाप्त की गई उक्त आराजी जिसका कब्जा दिनांक 20.3.2021 को लिया जा चुका है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू–अवाप्ति अधिकारी को निर्देशित किया जावें कि संशोधित अवार्ड जारी कर प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि का 1.5 के गुणक से पुनः मूल्यांकन कर संशोधित अवार्ड जारी करने का निर्देश दिया जावें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 1 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए दिनांक 09.06.2021 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया । दिनांक 09.06.2021 को दौ दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में दिनांक 19.06.2021 को किया गया । 3ए के नोटिफिकेशन के विरूद्व अन्तर्गत धारा 3 सी के तहत उस भूमि में हित रखने वाले कोई भी व्यक्ति द्वारा धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर आपत्तियां सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई थी । प्राप्त आपत्तियों का सक्षम अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया । 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 3192 (अ) दिनांक 09.08.2021 को जारी की गयी, उक्त अधिसूचना का सार दौ दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति दौनों में दिनांक 27.08.2021 के अंकों में प्रकाशित किया गया । उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि ख0नं0 669 रकबा 0.2033 हे0, वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा

जिला कलेक्टर
कोटा

किया होता तो उपरोक्त आंशिक रकबा पुनः अवाप्त नहीं करना पडता । एनएचएआई के अधिवक्ता भी इस बात से सहमत है कि एनएचएआई द्वारा विभिन्न अवार्डो से 2020 में भूमि अवाप्त की गई है । उपरोक्त अधिग्रहित रकबा भी नये कार्य के लिए अवाप्त नहीं होकर उसी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क 148 एन का हिस्सा है । अतः उपरोक्त अवार्ड को पूर्व में पारित अवार्ड का पूरक माने जाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है ।

6. विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर इस निर्देश के साथ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिवत दोनों पक्षों को सुनकर पूर्व में इन गांवों के जारी मूल अवार्ड का पूरक मानने, कब्जा अवाप्ति से पहले ही लेने, कोई नया प्रोजेक्ट ना होकर छूटे नम्बरों का अवार्ड होने आदि बिन्दुओं पर सुनवाई कर अधिकतम 45 दिवस में पुनः मुआवजा राशि तय करें ।
7. निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

18/7/22

(ओ.पी. बुनकर)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा